रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 16, 2019/पौष 26, 1940
No. 33] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 16, 2019/PAUSHA 26, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 34(अ).— यह अधिसूचना दिनांक 11 अप्रैल, 2018 की राजपत्र अधिसूचना सं. सा.का.नि. 364(अ) में आंशिक संशोधन करके जारी की जा रही है।

1. इस अधिसूचना में –पैरा सं. 1 (ङ) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है—

   "सीबीडीटी का अर्थ है— केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत गठित केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।"

2. अधिसूचना के पैरा 4 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के खण्ड (viiख) के प्रयोजनों हेतु अनुमोदन

4. (1) एक स्टार्टअप जिसे पैरा 2(iii) (क) के अंतर्गत डीआईपीपी द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, पहले जारी किए गए अथवा जारी किए जाने हेतु प्रस्तावित शेयरों हेतु अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के खण्ड (viiख) के प्रयोजनों हेतु अनुमोदन के लिए आवेदन करने का पात्र होगा, यदि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाता हैः—

i. प्रस्तावित शेयर, यदि कोई हो, जारी करने के पश्चात स्टार्टअप की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी और शेयर प्रीमियम की कुल राशि 10 करोड़ रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए,

ii. निवेशक/प्रस्तावित निवेशक के पास –

   (क) निवेश/प्रस्तावित निवेश के वर्ष से पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 50 लाख रु. या अधिक की प्राप्त आय होनी चाहिए; और

   (ख) निवेश/प्रस्तावित निवेश के वर्ष से पिछले वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को निवल संपत्ति, 2 करोड़ रुपए से अधिक या स्टार्टअप में किए गए/प्रस्तावित निवेश की राशि जो भी अधिक हो, होनी चाहिए।

(2) (i) इस पैरा के तहत अनुमोदन के लिए आवेदन प्रपत्र-2 में डीआईपीपी को प्रस्तुत किया जाएगा तथा इसके साथ इसमें उल्लिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे।

http://itatonline.org

स्टार्टअप द्वारा पहले जारी किए जा चुके शेयरों के लिए अनुमोदन संबंधी अनुरोध के मामले में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाएगा यदि संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए आकलन अधिकारी द्वारा आकलन आदेश जारी कर दिया गया है।

(ii) मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के आवेदन को डीआईपीपी द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीबीडीटी को प्रेषित किया जाएगा।

(3) सीबीडीटी, डीआईपीपी से आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 45 दिन में अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (viiख) के प्रयोजनों हेतु स्टार्टअप को अनुमोदन प्रदान कर सकता है अथवा उक्त अनुमोदन प्रदान करने से मना कर सकता है।

3. पैरा 5(1) तथा 5(2) में 'बोर्ड' शब्द के पश्चात 'अथवा सीबीडीटी' शब्दों को जोड़ा गया है।

4. पैरा 6 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:
6. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी। सरकार द्वारा इस अधिसूचना की दिनांक 31.03.2021 से पहले समीक्षा की जाएगी।

[फा. सं. 5(4)/2018-एसआई]

अनिल अग्रवाल**,** संयुक्त सचिव

परिशिष्ट–I

प्रपत्र-2 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है:

प्रपत्र -2

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56 (2) (vii ख) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदन हेतु आवेदन-पत्र

1. स्टार्टअप का नाम ....
2. स्टार्ट-अप की कंपनी के रूप में निगमन की तिथि - ....
3. निगमन संख्या.............................
4. पता और व्यवसाय स्थान- ....
5. व्यवसाय का प्रकार ....
6. स्टार्टअप का संपर्क विवरण (फोन नंबर और ईमेल) - ....
7. स्थायी खाता संख्या - ....
8. डीआईपीपी द्वारा आवंटित स्टार्टअप मान्यता संख्या - ....
9. मौजूदा / प्रस्तावित क्रियाकलाप- ....
10. आवेदन की तारीख को शेयर पूंजी का विवरण-

    (i) शेयर पूंजी की राशि ...

    (ii) शेयर का इश्यू मूल्य और शेयर इश्यू करने की तिथि ......

    (iii) शेयरों का प्रकार...........

    (iv) शेयरों की संख्या ....

    (v) अंकित मूल्य ....

    (vi) शेयर प्रीमियम राशि ....
11. मौजूदा शेयरधारकों का विवरण-

    (i) नाम - ....

    (ii) पैन - ....

http://itatonline.org

(iii) आवासीय स्थिति - ....

(iv) पता - ....

(v) शेयरों की संख्या - ....

(vi) शेयरों का प्रकार ....

(vii) अंकित मूल्य ....

(viii) इश्यू मूल्य और इश्यू की तिथि......

(ix) शेयर प्रीमियम राशि ....

12. शेयरधारकों सहित शेयरों का विवरण जिनके लिए अनुमोदन प्रार्थित है-

(i) नाम - ....

(ii) पैन - ....

(iii) आवासीय स्थिति - ....

(iv) पता - ....

(v) शेयरों की संख्या - ....

(vi) शेयरों का प्रकार ....

(vii) अंकित मूल्य ....

(viii) शेयर इश्यू का मूल्य और शेयर इश्यू करने की तिथि (मौजूदा तथा प्रस्तावित)......

(ix) शेयर प्रीमियम की राशि ....

13. सहायक दस्तावेज, यदि कोई हों, सहित शेयरों के मूल्य निर्धारण का औचित्य।

घोषणा

मैं / हम यह प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई उपर्युक्त जानकारी सही है और कोई प्रासंगिक जानकारी छुपायी नहीं गई है।

कृते (स्टार्टअप का नाम)

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम) पदनाम

स्थान: _______

दिनांक: _______

इस प्रपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएं—

क. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए स्टार्ट-अप के वार्षिक खाते (यदि स्टार्ट-अप को शुरु हुए तीन वर्ष नहीं हुए हैं, तो इसके निगमन की तारीख से वार्षिक खाते);

ख. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए स्टार्ट-अप के आयकर रिटर्न की प्रतियां (यदि स्टार्ट-अप को शुरू हुए तीन वर्ष नहीं हुए हैं, तो इसके निगमन की तारीख से आयकर रिटर्न की प्रतियां);

निवेशक (निवेशकों) द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज सीधे डीआईपीपी को प्रस्तुत किए जाएंगे—

ग. संगत वित्तीय वर्ष के लिए निवेशक के आयकर रिटर्न और निवल सम्पत्ति प्रमाण-पत्र की प्रतियां।

http://itatonline.org

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2019

G.S.R. 34(E).—This notification is being issued in partial modification of Gazette Notification No. G.S.R. 364(E)dated April 11, 2018.

1. In the said Notification-para 1 (e) is replaced with the following –

"CBDT means the Central Board of Direct Taxes constituted under the Central Board of Revenue Act, 1963."

2. Para 4 of the Notification shall be read as under:

Approval for the purposes of clause (viib) of sub-section (2) of section 56 of the Act.

4. (1) A Startup which is recognised by DIPP under para 2(iii) (a) shall be eligible to apply for approval for the purposes of clause (viib) of sub-section (2) to section 56 of the Act for the shares already issued or proposed to be issued if the following conditions are fulfilled—

(i) aggregate amount of paid up share capital and share premium of the startup after the proposed issue of share, if any, does not exceed ten crore rupees;

(ii) The investor/ proposed investor shall have —

(a) returned income of Rs. 50 lakh or more for the financial year preceding the year of investment/proposed investment; and

(b) net worth exceeding Rs. 2 crore or the amount of investment made/proposed to be made in the startup, whichever is higher, as on the last date of the financial year preceding the year of investment/proposed investment.

(2) (i) Application for approval under this para shall be made in Form-2 to DIPP and shall be accompanied by the documents specified therein:

Provided that in case the approval is requested for shares already issued by the Startup, no application shall be made if assessment order has been passed by assessing officer for the relevant financial year.

(ii) The application of the recognised startup shall be transmitted by DIPP to CBDT with the necessary documents.

(3) The CBDT, within a period of 45 days from the date of receipt of application from DIPP may grant approval to the Startup for the purposes of clause (viib) of sub-section (2) of section 56 of the Act or decline to grant such approval.

3. In para 5 (1) and 5 (2) after word 'Board' words 'or CBDT' are added.

4. Para 6 shall read as under:

6. This Notification shall come into effect on the date of its publication in the Official Gazette. The Government will carry out a review of this Notification before 31.03.2021.

[F. No. 5(4)/2018-SI]

ANIL AGRAWAL, Jt. Secy.

APPENDIX-I

Form-2 is replaced with the following:

Form-2

Application for approval for the purposes of section 56(2)(viib) of the Income-tax Act, 1961

1. Name of the Startup- ....
2. Date of incorporation of Startup as company-

http://itatonline.org

3. Incorporation No-......................................
4. Address and business location-......................................
5. Nature of business- ....
6. Contact details of Startup (Phone No. and Email)-......................................
7. Permanent Account No-......................................
8. Startup Recognition number allotted by DIPP- ....
9. Existing/proposed activities-......................................
10. Details of share capital as on the date of application-
    (i) Amount of share capital.........
    (ii) Issue price and date of issue of shares.........
    (iii) Type of shares............
    (iv) Number of shares.........
    (v) Face value............
    (vi) Amount of share premium......
11. Details of existing shareholders-
    (i) Name(s)-………..
    (ii) PAN-……
    (iii) Residential status-………..
    (iv) Address-…………
    (v) Number of shares-……….
    (vi) Type of shares-............
    (vii) Face value-............
    (viii) Issue Price and date of issue-………..
    (ix) Amount of share premium-......
12. Details of shares along with shareholders for which certification for exemption is sought—
    (i) Name(s)-………..
    (ii) PAN-……
    (iii) Residential status-………..
    (iv) Address-…………
    (v) Number of shares-……….
    (vi) Type of shares-............
    (vii) Face value-............
    (viii) Issue Price and date of issue of shares (existing as well as proposed)-………..
    (ix) Amount of share premium-......
13. Justification for valuation of shares along with supporting documents, if any.

http://itatonline.org

Declaration

I/We hereby certify that the above information furnished by me is true and no relevant information has been concealed.

For (Name of the Startup)

(Name of the authorised signatory) Designation

Place: __________

Date: __________

This form shall be accompanied by the following documents —

a. the annual accounts of the startup for the last three financial years (if the Startup is in existence for less than three years, then annual accounts from the date of its incorporation);

b. Copies of Income Tax returns of the Startup for the last three financial years (if the Startup is in existence for less than three years, then copies of Income Tax returns from the date of its incorporation);

The following documents shall be submitted by the investor(s) directly to DIPP—

c. Copies of income-tax return and net worth certificate of the investor for the relevant financial year.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.01.16
http://itatonline.org